# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 78 / 2023 — निर्णय दिनांकः 11.06.2024

ऑनलाईन नम्बर 2023 / 157

किशनाराम दत्तक पुत्र गोधूराम जाति मेघवाल निवासी ऊपनी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

**बनाम**

1. गोधूराम उर्फ बुधराम पुत्र परताराम जाति मेघवाल निवासी ऊपनी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री सुखदेव व्यास अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतू निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत हैं कि प्रार्थी / वादी ने उपरोक्त अनुवान का दावा मान्य् न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया हैं जिसमें प्रार्थी / वादी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 का दतक पुत्र हैं जो गांव ऊपनी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 हिन्दू धर्म के अनुनायी हैं जो हिन्दू विधि से शासित होते हैं । अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को बचपन में ही गोद ले लिया था जिसकी लिखित दस्तावेज गोदनामा उप—पंजीयक कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ में दिनांक 15.11.2018 को पंजीकृत करवाया हुआ हैं जिसके अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के वंश में प्राकृतिक पुत्र हो गया है। प्रार्थी के दादा परताराम की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 102 तादादी 7.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 395 तादादी 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन कुआं, खसरा नम्बर 396 तादादी 9.7300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 491 तादादी 4.100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492 तादादी 0.4500 हैक्टेयर गैर मुमकिन सड़क, खसरा नम्बर 493 तादादी 3.05 हैक्टेयर कुल खसरे 6 कुल तादादी 24.3400 हैक्टेयर रोही ग्राम ऊपनी तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित थे। प्रार्थी के दादा परताराम जी के देहान्त के उपरांत वादगत खेतो की संयुक्त खातेदारी उनके वारिसानों के नाम दर्ज की ग[illegible] प्रार्थी के दतक पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से वादगत खेतों की 1/[illegible] दर्ज की गयी। प्रार्थी के दादा परताराम जी के वारिसानों ने वादगत खेतों [illegible] संख्या 521 दिनांक 26.07.2021 के द्वारा विभाजन कर लिया। विभाजन उपरांत वादगत खेतों [illegible] प्रार्थी के दतक पिता के हिस्से की भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर [illegible]7 / 102 तादादी 1[illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 952 / 396 तादादी 2.4300 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रास्ता 0.100 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.06.24 17:58:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खसरा नम्बर 953/491 तादादी 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 956/492 तादादी 0.2000 हैक्टेयर गैर मुमकिन सड़क, खसरा नम्बर 958/493 तादादी 1.2600 हैक्टेयर कुल खसरे 5 कुल तादादी 6.1700 हैक्टेयर रोही ग्राम ऊपनी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर कायम हुए जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार वादगत खसरान की भूमि प्रार्थी के दादा स्वर्गीय परताराम जी कि भूमि हैं जो प्रार्थी की पैतृक हक हिस्सा की कृषि भूमि हैं वादगत खसरान के राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी हकों की सम्पति हैं । प्रार्थी का वादगत खेतों में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6(1) की सारणी के अनुसार अपने दादा स्वर्गीय परताराम जी व अप्रार्थी संख्या 1 के सहदायिकी उतराधिकारी होने से हक हिस्सा स्थित है । अप्रार्थी संख्या 1 के गोद जाने से वादगत सम्पति प्रार्थी की सहदायिकी सम्पति हैं जिसमें प्रार्थी का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार हक हिस्सा निहित है। वादगत खसरान की भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी हकों की सम्पति हैं । वादगत खसरान की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थी का स्व. परताराम जी का पौत्र होने से उनकी खातेदारी के खेतों में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 1 के साथ समान हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार प्रार्थी का वादगत खेतों में 1/2 हिस्सा निहित है। प्रार्थी का वादगत खेतों में स्थित अपने कानूनी 1/2 हक हिस्सा की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थी अपने दतक पिता व माता की देखभाल करना चाहता हैं परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 अन्य लोगों के बहकावें में आकर प्रार्थी से द्वेष भावना रखता हैं और वादगत भूमि से बेदखल कर अजनबी व्यक्तियों को प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि विक्रय करने की धमकियां दे रहा हैं। प्रार्थी ने दिनांक 05.06.2023 को वादगत खेतों में प्रार्थी के जायज कानूनी 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने का निवेदन अप्रार्थी संख्या 1 से किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के हिस्सा की भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया और प्रार्थी को धमकी दी कि वह उसका हिस्सा अजनबी व्यक्तियों को विक्रय कर देगा । वादगत खेतों में प्रार्थी का पैतृक 1/2 हक हिस्सा निहित हैं जिसकी खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकार प्रार्थी को प्राप्त हैं। वादगत खेतों में प्रार्थी का सहदायिक पैतृक हक हिस्सा निहित हैं जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने वादी को वादगत खेतों में स्थित उसके हक हिस्सा अनुसार भूमि देने से स्पष्ट इंकार कर उसके हिस्से की भूमि को अजनबी व्यक्तियों को विक्रय करने की एलानियां धमकीयां दी हैं। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने गलत मन्तव्य में सफल हो गया तो प्रार्थी को अहम नुकसान होगा और प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भूमि से वंचित हो जायेगा ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा अनुतोष प्राप्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है। वादगत खेत प्रार्थी के पैतृक खेत हैं जिनमें प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है जिसे प्रार्थी ... काश्त व उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहा है इसलिए प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला ... है। अप्रार्थीगण ने वादगत खेतों में प्रार्थी का हक हिस्सा देने से इंकार कर ... प्रार्थी के हिस्सा की कृषि भूमि को अजनबी व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकियां दी है। अगर अप्रार्थी अपने गलत मंन्सुबों में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को भारी असुविधा होगी तथा ना पूरा होने वाला नुकसान होगा ऐसी स्थिति में सुविधा सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.06.24 17:58:42 IST
Reason: SelfAttested

... खण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वह वादगत खसरा नम्बर 947/102 तादादी 1.7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 952/396 तादादी 2.4300 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रास्ता 0.100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 953/491 तादादी 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 956/492 तादादी 0.2000 हैक्टेयर गैर मुमकिन सड़क, खसरा नंम्बर 958/493 तादादी 1.2600 हैक्टेयर कुल खसरे 5 कुल तादादी 6.1700 हैक्टेयर रोही ग्राम ऊपनी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित प्रार्थी के 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल नही करें, विक्रय बैय हस्तान्तरण नही करे, प्रार्थी के कब्जा उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करें, ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य न करे ना ही किसी अन्य से करावें जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हों । अप्रार्थी तादावा फैसला मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तादावा फैसला मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का खंडन करतें हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायलय की अपील संख्या 2116 ऑफ 1972 निर्णय दिनांक 10.11.1989 एवं हिन्दु दतक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 सेक्शन 13 के पृष्ठ संख्या 36 पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकरान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में पैतृक कृषि भूमि बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया गया। लिहाजा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.06.24 17:38:42 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ